

तमिलनाडु विधानसभा ने नए यूजीसी विनियम 2025 को गापस लेने की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बैंगलूरु/भारत तमिलनाडु विधानसभा ने बृहस्पतिवार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से विद्यविद्यालयों के कुलपतीयों की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को नए विनियम 2025 को तुरत वापस लेने का आग्रह किया। विधानसभा ने यूजीसी विनियम 2025 को संविधान और संघवाद के मूल

सिद्धांत के खिलाफ बताया।

भाजपा की सहयोगी पीपलके समेत सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि इसके तुलनात्मकी तर्ज शिक्षा प्राचाली को नुकसान पहुंच सकता है।

विदेशी एसाईएडीएसके ने भी

प्रस्ताव पर ब्रूम और उसके सहयोगियों को समर्थन किया। हालांकि, भाजपा नेता नैनर नांगेन्ऱन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल मसौदा

प्रस्ताव ही जारी किया गया है। नांगेन्ऱन ने कहा, सुझाव और सिफारिशें देने के लिए पांच करपरी तक का समर्थन है। उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने की बात कहते हुए अनी पार्टी के विद्यार्थियों के साथ सदन से बहिर्भवन किया।

प्रस्ताव पर वर्चा करते हुए मुख्यमंत्री सप के स्टालिन ने कहा कि यूजीसी विनियम 2025 का नया मसौदा (जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री घोषित प्रधान मन्त्री छह जनवरी को नई दिल्ली में जारी किया)

कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपालों के संक्षेप बनाता है, जिसमें विश्वविद्यालय 'बाबू' हो जाते हैं। मसौदा दिशनिंदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर तेवर किए गए हैं।

प्रस्ताव पर बोलते हुए स्टालिन ने कहा, हमें यह मजूर है। राज्यपालों को मनवाने ढंग से कुलपतियों की नियुक्ति करने के लिए अधिक अधिकार देना सही नहीं है। ... इसे उन राज्यों के अधिकारों को हड्डने का प्रयास माना जाना चाहिए जिन्होंने अपने

संसाधनों से विश्वविद्यालयों को बनाया है। उन्होंने दावा किया कि यह कदम संविधान और संघवाद के सुन सिद्धांत के लिए खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि आगे देश में सबसे अधिक शैक्षणिक संस्थानों वाले तमिलनाडु की स्वायत्ता छीनी जाएगी तो वह शांत नहीं बढ़ेगा।

उन्होंने आगे कहा कि अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव के बाद भी अपना विचार नहीं बदलती है तो सरकार अदालत का दरवाजा खटखटाएगा।



केंद्र: 14 जनवरी को सबरीमला पहुंचेंगे 'तिलवभरण'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

सबरीमला/भारत केरल के अयप्पा मंदिर में चढ़ाए जाने वाले 'तिलवभरण' (पवित्र आभूषण) मन्दिर संक्रम यानी 12 जनवरी को पंडालम शाही महल परिसर से ले ले जाए जाएंगे और पारंपरिक मार्ग से होते हुए इन्हें 14 जनवरी को 'नकरविलकु' के मौके पर सबरीमला संधिधानम पहुंचाया जाएगा।

त्रावणकोर देवस्थान वोर्ड (टीडीडी) के अधिकारी प्रीतस प्रांत के वृहस्पतिवार को बाद 15 से संधिधानम पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शाम के देवस्थान मंदी, टीडीडी अध्यक्ष और सदस्य ध्वजस्तंप के नीचे धारिक यात्रा में शामिल प्रतिनिधियों का स्वायत्त रखेगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप्त करेंगे तथा महा नैवारी को बदल होगा।

केवल 'तिलवभरण' यात्रा के साथ आगे जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि मंदिर के 'तंत्री' और 'मेलराषि', तिलवभरण' प्राप

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसआई भर्ती परीक्षा में यथादिक्षिति बनाए रखने का आदेश दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उपनिशिक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 के मामले में यथादिक्षिति बनाए रखने का आदेश इहसनीयतावान किया। इस मामले की अली सुनवाई अब 10 फरवरी को होगी। इससे पहले, अतिरिक्त महाधिकारी विभाग शामा ने उपनिशिक्षक भर्ती परीक्षा-2021 पर राज्य सरकार की राज्य के बारे में जवाब अदालत में पेश किया। आरोपी अभ्यर्थियों और भर्ती हुए उपनिशिक्षकों के वकील प्रदर्शन शर्मा ने संवाददाताओं से

कहा, आज सरकार ने अपना जवाब पेश किया। सरकार ने कहा कि चाहे महाधिकारी का राज्य सरकार द्वारा गठित समिति वाय हो और अभी हो लोग इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं कि परीक्षा पूरी तरह से रद्द करना है या नहीं करना है।

परीक्षा रद्द करवाने की मांग करने वाले याचिकाकातों के वकील हाँड़ नीचे कहा, अर्थात् अधिकारी विभागीय प्रशिक्षण द्वारा नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा कि जहां तक परीक्षा पर यथादिक्षिति बनाए रखने के उच्च न्यायालय के 19 नवंबर 2024 के आदेश का सावाल है, अदालत ने स्पष्ट किया है कि पूरी भर्ती और प्रशिक्षण-प्रदर्शन प्रक्रिया पर

